6/4/23 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible]
अनुरोध है वाद का वाद 0923 जारी
से खारिज किया जा चुका है इसलिए
अब T-I प्रपत्र का कोई औचित्य
शेष नहीं रह जाता है इसलिए T-I
प्रपत्र खारिज किया जाता है पत्रावली
फाइल होकर दर्ज रजिस्टर से कर
दी आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2023.09.26 12:12:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner